

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पौ०-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या—20010116 के क्रम में कट-ऑफ डेट—01.08.2006 के आधार पर संशोधित विज्ञापन

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ले ज्ञापांक—2900/आ०, दिनांक—27.09.2016 के आलोक में दिनांक—28.09.2016 को सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी थी। इस विज्ञापन के क्रम में कट-ऑफ तिथि 01.08.2006 के आधार पर पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में विज्ञापन प्रकाशित की जा रही है। विज्ञापन संख्या—20010116, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। वैसे अभ्यर्थी, जो इस नियुक्ति हेतु पूर्व में आवेदन समर्पित कर चुके हैं, को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आरक्षित श्रेणी यथा SC, ST, MBC, BC के जिन अभ्यर्थियों की श्रेणी/कोटि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के बाद बदल गई हो, तो वे अपने पूर्व के आवेदन को निबंधन संख्या एवं जन्मतिथि से Login कर अद्यतन श्रेणी/जाति भर सकते हैं।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक—07.03.2019 से 30.03.2019 तक

कुल रिक्तियाँ:- 326 (तीन सौ छब्बीस)

| | | |
|----------------------|---|-----|
| अनुसूचित जाति | — | 60 |
| अनुसूचित जनजाति | — | 04 |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | — | 70 |
| पिछड़ा वर्ग | — | 43 |
| पिछड़ा वर्ग की महिला | — | 09 |
| अनारक्षित | — | 140 |

नोट:- 1. विकलांगता अधिनियम—1995 के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के तहत 03(तीन) पद दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवारों को, 03(तीन) पद मूक बधिर दिव्यांग उम्मीदवारों को तथा 04(चार) पद चलन विकलांग उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं—2526, दिनांक—18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 06(छ:) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता :- इंटरमीडिएट।

- तकनीकी योग्यता:-** 1. आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण।
2. कम्प्यूटर के बेसिक/वर्डस प्रोसेसिंग ज्ञान।

वेतनमान— 5200—20200 रुपये एवं, ग्रेड—पे 2400/-

उम्र सीमा :- (दिनांक—01.08.2006 के आधार पर निर्धारित की जायेगी)

- (1) आयु न्यूनतमः— 18 (अठारह) वर्ष।
- (2) अधिकतम आयु सीमा:— (i) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) — 37 वर्ष।
(ii) अनारक्षित वर्ग (महिला) — 40 वर्ष।
(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)— 40 वर्ष।
(iv) अनुजाति/अनुजनजाति (पुरुष/महिला) — 42 वर्ष।



- (3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।

चयन की प्रक्रिया:-

सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा (इन्टर स्तरीय) एवं व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 05 गुण सफल अभ्यर्थियों (कोटिवार) की सूची तैयार की जायेगी, जिन्हें व्यावहारिक जाँच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। व्यावहारिक जाँच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार अंतिम मेधासूची तैयार की जायेगी।

1. लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें इन्टर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्न निम्नांकित विषयों के होंगे:-

- (क) सामान्य अध्ययन-प्रश्नों की संख्या-50 होगी।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित-प्रश्नों की संख्या-50 होगी।
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)- प्रश्नों की संख्या-50 होगी।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है:-

खंड (क)- सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्बन्ध पूछे जा सकते हैं।

- (i) सम-सामयिक विषय:- वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।
- (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:- पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

खंड-(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित:- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

- (i) सामान्य विज्ञान:-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न।

(ii) गणितः—संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, और सत, व्याज एवं लाभ और हानि।

खंडः—(ग) मानसिक क्षमता जाँचः—इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:— सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य—स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या शृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

व्यावहारिक जाँच परीक्षा:—

1. हिन्दी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 04 मिनट तक लेखापन द्वारा जाँच की जायेगी। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 01 मिनट का लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख) दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने से पूर्व 02 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण में शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।
2. श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिन्दी में 30(तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5(डेढ़) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

क्वालीफाइंग मार्क्सः—

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—2374, दिनांक—16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:—

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| सामान्य वर्ग | — | 40 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग | — | 36.5 प्रतिशत |
| अ0पि0वर्ग | — | 34 प्रतिशत |
| अनु0जाति / जनजाति | — | 32 प्रतिशत |
| महिला वर्ग | — | 32 प्रतिशत |

नोटः— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार) के पत्रांक—6706, दिनांक—01.10.2008 के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों का न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत होगा।

परीक्षा शुल्कः—

- (क) सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी—600 रुपये।
(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सिंक बिहार के स्थायी निवासी के लिए)—150 रुपये।
(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु —600 रुपये।
(घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति / जनजाति के समान)—150 रुपये।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) आदि से जमा किये जाने पर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अलग से देय होगा।

अभ्यर्थी ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक—08.03.2019 से 05.04.2019 तक देय



होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित प्रमाण—पत्र (पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे।

आरक्षणः—

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक—11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को हीं देय है।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण—पत्र, जिसमे जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो, मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण—पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु काउन्सिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण—पत्र समर्पित नहीं करने पर, वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन—पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आते हों, उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउन्सिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष के अन्दर का निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि पुराना है, तो विहित प्रपत्र xviii (B) में स्वघोषणा समर्पित करना होगा।
- (iii) आरक्षित कोटि SC, ST, MBC, BC के महिला अभ्यर्थी का जाति/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण—पत्र उनके पिता के नाम के साथ निर्गत होना चाहिए।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
- (v) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह मान्य नहीं होगा।
- (vi) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या—62, दिनांक—05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांगों को 3 प्रतिशत (1: दृष्टि निःशक्तता, 1: मूकबधिर निःशक्तता तथा 1: चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है। यदि रिक्ति किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जायेगी, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले नियुक्ति में अग्रणित की जायेगी।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—11/आ0नी0—I-10/2015 सा0प्र0—13185 पटना—15, दिनांक—03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या—2342, दिनांक—15.02.2016 के अनुसार विहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा


अन्य:- (i) किसी उम्मीदवार को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा। बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि, कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे।

अंतिम तिथि:- ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि-07.03.2019 से 06.04.2019 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।



सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।